

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/ माध्य/ संस्था /बी-2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री महेश कुमार श्रृंगी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलाना, जिला झालावाड़ का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शेरपुर, जिला झालावाड़ किया गया था जिसके विरुद्ध श्री महेश कुमार श्रृंगी द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 4351/2019 महेश कुमार श्रृंगी बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4351/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री महेश कुमार श्रृंगी को अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में 15 दिवस में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पत्नी के राजकीय सेवा में झालारापाटन ब्लॉक में कार्यरत होने, अपनी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2021 को होने तथा स्थानान्तरित स्थान के करीब 100 किमी दूर होने एवं अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन झालावाड़ जिले में राउमावि असनावर या राउमावि आमेठ अथवा एसीबीईओ-सुनेल, झालावाड़ में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरंगना से प्राप्त स्थानान्तरण आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता जिससे इनके प्रकरण पर विचार किया जा सके। अपीलार्थी को उनके गृह जिले झालावाड़ में ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2021 है जिसमें पर्याप्त समय एवं जिले में ही कार्यरत रहते हुए उन्हें पेंशन परिलाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई होने के आसार प्रतीत नहीं होते। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 1993 एस0सी02486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करें।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री महेश कुमार श्रृंगी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/ महेश कुमार श्रृंगी /3251/2019 दिनांक: 29.11.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।

4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री महेश कुमार श्रृंगी को तत्काल स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध सीसीए-17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 3 दिवस में इस कार्यालय के विभागीय जॉच प्रथम अनुभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, झालावाड ।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री महेश कुमार श्रृंगी, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)